मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांकःएफ 3–26/2011/26–2, भोपाल, दिनांक 24-8-2011

प्रति,

1. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश
2. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,
सामाजिक न्याय,
मध्यप्रदेश.

विषयः–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) योजनांतर्गत प्रशासनिक मद में 3 प्रतिशत राशि व्यय किये जाने बाबत् ।

संदर्भः–भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र0 J-11060/6/2009-NSAP दिनांक 29.09.2010

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) योजनांतर्गत यथा– (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)(ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (IGNDPS) (iv) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (NFBS) कार्यक्रम अंतर्गत संचालित योजनाओं में भारत सरकार, ग्रामीण विकास, मंत्रालय के संदर्भित पत्र दिनांक 29 सितम्बर, 2010 द्वारा वर्ष 2011–12 के लिये प्रशासनिक मद में 3 प्रतिशत व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया है । (छायाप्रति संलग्न हैं)

2/ उक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन 3 प्रतिशत की राशि में से नीचे दर्शाये अनुसार तीन स्तरों पर उल्लेखित प्रयोजन हेतु व्यय की अनुमति प्रदान करता है :–

(i)

क्र.	कार्य का स्तर	व्यय प्रयोजन	3 प्रतिशत में से अंश	रिमार्क
1	जनपद एवं नगरीय निकाय स्तर पर	1. प्रबंधकीय सूचना प्रणाली 2. गुणवत्ता पर्यवेक्षण 3. योजना के कियान्वयन पर किया जाने वाला व्यय तथा बैंक/पोस्ट ऑफिस शुल्क बैंक से पत्राचार पर लगने वाला प्रभार 4. सार्वजनिक सेवा केन्दों का उपयोग 5. विकासखण्ड स्तरीय सामाजिक सुरक्षा एवं विकलांगों के शिविर	1.5 प्रतिशत	जनपद एवं नगरीय निकाय के लिये निर्धारित राशि का वितरण हितग्राहियों की संख्या के मान से
2	जिला स्तर पर	1. पेंशन कार्ड की छपाई एवं वितरण 2. निःशक्त व्यक्तियों को पेंशन प्रदाय करने हेतु चिकित्सा अधिकारियों के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शिविरों के आयोजन 3. जिला स्तरीय शिविरों का आयोजन 4. जिला शिकायत प्रणाली की स्थापना 5. प्रबंधकीय सूचना प्रणाली/कम्प्यूटर प्रणाली के संचालन में प्रयुक्त होने वाली स्टेशनरी 6. व्यावसायिक सेवाओं को जुटाना 7. गुणवत्ता पर्यवेक्षण 8. जिला स्तर पर प्रबंधन सूचना प्रणाली	1.00 प्रतिशत	
3	राज्य स्तर पर	1. जन सामान्य में योजनाओं की जागरूकता लाने के लिये सूचना शिक्षा एवं संचार तंत्र के माध्यम से जनजागृति 2. योजना से जुड़े अधिकारियों का प्रशिक्षण 3. राज्य स्तरीय प्रबंधन सूचना प्रणाली 4. राज्य स्तरीय शिकायत प्रणाली की स्थापना 5.राज्य स्तरीय व्यावसायिक शिविरों का आयोजन 6. प्रबंधकीय सूचना प्रणाली/कम्प्यूटर प्रणाली के संचालन में प्रयुक्त होने वाली स्टेशनरी	0.5 प्रतिशत	

(ii) निम्नलिखित कार्यो में प्रशासनिक व्यय स्वीकृत नही कर सकेंगे :—

(अ) शासकीय सेवाएं/पंचायतीराज संस्था/अन्य किसी मान्यता प्राप्त शासकीय कार्यान्वयन एजेंसी में कार्यरत कर्मियों को वेतन/पारिश्रमिक/मानदेय नहीं दिया जावेगा ।

....3/.

(ब) किसी भी प्रकार का नवीन वाहन कय/पुराने वाहन की मरम्मत नही की जावेगी।

(स) किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही किया जावेगा।

(iii) निम्नलिखित मदों में सिर्फ एक बार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जावेगी :–

(अ) जनपद पंचायत/नगरीय निकाय स्तर पर उपलब्ध कम्प्यूटरीकृत सुविधाओं में वृद्धि।

(ब) रिकार्ड रखने हेतु अलमारी एवं कार्यालय उपयोग का फर्नीचर, मात्र क्रय करने का पालन करते हुए।

(iv) अन्य शर्ते :–

(अ) सामाजिक सहायता कार्यकम अर्न्तगत संचालित योजनाओं में किये गये खर्च को ही प्रशासनिक व्यय माना जावेगा।

(ब) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यकम अर्न्तगत योजनाओं को प्रभावी ढ़ग से कियान्वित करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यो हेतु जिला/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा उपर उल्लेखित राशि प्रशासनिक व्यय से अधिक की व्यय नही की जावेगी।

(स) भारत सरकार/मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अर्न्तगत ही जनपद पंचायम/नगरीय निकाय को सामाजिक अंकेक्षण एवं वार्षिक भौतिक सत्यापन की कार्यवाही कर जिला पंचायत के माध्यम से आयुक्त, सामाजिक न्याय को भेजी जावेगी ताकि भारत सरकार को सामाजिक अंकेक्षण एवं वार्षिक भौतिक सत्यापन की कार्यवाही से अवगत कराया जा सकें।

(द) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचातय को सौंपे गये त्रैमासवार आवंटन में से उपर उल्लेखानुसार प्रशासनिक मद की राशि में से जनपद पंचायत/नगरीय निकाय को दी जाना है।

(इ) जिला पंचातय द्वारा प्रशासनिक व्यय पर होने वाले खर्चो को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में आयुक्त, सामाजिक न्याय को प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे ताकि व्यय की वस्तुस्थिति से भारत सरकार को अवगत कराया जा सके।

...4

3/ मध्यप्रदेश के समस्त जिला पंचायत/जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय को उसी वित्तीय वर्ष में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त होने वाले त्रैमासिक आवंटन में से प्रशासनिक व्यय की राशि को खर्च करना होगा, लेकिन यह राशि हितग्राहियों को उसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल राशि के ऊपर उल्लेखित से अधिक नहीं होगी । इस प्रावधान का अभिप्राय है कि मध्यप्रदेश की समस्त जिला पंचायत/जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को लागू करने हेतु केन्द्र/मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वयन करेंगी ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(व्ही.के.बाथम)
सचिव
म0प्र0शासन,सामाजिक न्याय विभाग

पृ0क्रमांकःएफ 3–26/2011/26–2, भोपाल, दिनांक 24-8-2011

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय ।
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय।
5. आयुक्त, सामाजिक न्याय संचालनालय/पंचायतीराज संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
6. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
9. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
म0प्र0शासन,सामाजिक न्याय विभाग